न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी - संदेश नायक, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

--- --- ---

प्रार्थना पत्रा 6ए संख्या 13 सन् 2015 निर्णय दिनांक 24.7.2019

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना, तारानगर

- प्रार्थी

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र नरसाराम, जाति जोगी, निवासी भादरा, हाल धीरवास बड़ा, तहसील तारानगर, जिला चूरू

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्रा अन्तर्गत धारा 6। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. पेरोकार रसद
2. श्री रमेश राहड़, वकील- अप्रार्थी

निर्णय

संक्षेप में अपील का सारांश इस प्रकार है कि दिनांक 18.10.2008 को ए.एस. आई. जगदीशचन्द्र ने मय पुलिस ज़ाप्ता के धीरवास बड़ा से साहवा के रास्ते पर पुलिस नाकाबन्दी के दौरान धीरवास बड़ा की तरफ से एक पिकअप चालक मय पिकअप नाकाबन्दी तोड़कर साहवा की ओर भाग गया। इसके पश्चात पिकअप गाड़ी नंबर आर.जे. 10 जी.ए. 1772 को चालक कस्बा साहवा के एक नोहरे में छोड़कर भग गया। जिसकी जाँच की गई जिसमें 4 ड्रम लोहा व 2 ड्रम प्लास्टिक के रखे हुए मिले ड्रमों को खोल कर चैक किया गया तो उनमें डीजल की गंध आ रही थी। उक्त 6 भरे हुए ड्रमों में 200 लीटर प्रति ड्रम के अनुसार कुल 1200 लीटर डीजल पाया गया। मौके से पिकअप व ड्रमों को जब्त किया जाकर पुलिस थाना, तारानगर में रखा गय इस संबंध में पुलिस थाना, तारानगर में एफ.आई.आर. संख्या 207/2008 दर्ज की जाकर तत्कालीन थानाधिकारी कैलाशदान उ0नि0 द्वारा तफतीश शुरू की गई। सम्पूर्ण अनुसन्धान से मुलिजम ओमप्रकाश के खिलाफ जुर्म प्रमाणित जाया जाने पर चालान न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ जिला चूरू में पेश किया गया। इसके पश्चात माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.12.2014 को अप्रार्थी पर दोषसिद्ध होने का आदेश पारित किया गया।

जिला कलेक्टर

डीजल तेल ज्वलनशील/उड़नशील पदार्थ होने तथा शिघ्र खराब होने वाली वस्तु होने के कारण काफी मात्रा में डीजल उड़ जाने व ड्रम लिकेज होने के कारण नष्ट हो चुका है। जब्त शुदा शेष डीजल व पिकअप संख्या आर.जे. 10 जी.ए. 1772 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश प्रदान करने का प्रार्थना-पत्रा प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना-पत्रा प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को तलब किया गया।डीजल ज्वलनशील / उड़नशील पदार्थ है तथा शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है। अत: इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.1.2017 को जिला रसद अधिकारी, चूरू को निर्देशित किया गया कि प्रकरण में जब्तशुदा डीजल को नजदीकी पेट्रोल पम्प पर विक्रय किया जाकर विक्रय से प्राप्त राशि अमानतन राजकोष में जमा करवाये।

पेरोकार रसद व विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई। पेरोकार रसद ने अपनी बहस में बताया कि पिक अप चालक श्री ओमप्रकाश द्वारा डीजल का अवैध परिवहन किया जा रहा था। एक साथ बड़ी मात्रा में 1200 लीटर डीजल बिना परमिट व लाईसेंस के पाये जाने पर श्री ओमप्रकाश, वाहन चालक ने राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1990 की धारा 15 एवं मोटर स्प्रीट और हाई स्पीड डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अन्त में राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियंत्राण) आदेश 1990 की धारा 15 एवं मोटर स्प्रीट और हाई स्पीड डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का स्पष्ट उल्लंघन करने पर जब्त किए गए 1200 लीटर डीजल मय छ: प्लास्टिक के ड्रमों तथा पिकअप नं. आर.जे.10 जी.ए. 1772 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात (Confiscate) किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने अपने उत्तर में जाहिर किया कि पुलिस थाना, तारानगर द्वारा 1200 लीटर डीजल अवैध रूप से परिवहन व भण्डारण के लिए ई.सी. एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। बहस में कहा कि अप्रार्थी के गांव के डुंगरराम, धर्मपाल व रामसिंह द्वारा अप्रार्थी की पिकअप को किराये पर किया गया व अपने ट्रेक्टर के लिये डिजल लाने गये थे। उक्त डीजल सवारन फिलिंग स्टेशन, संघ, सादुलगढ़, जिला मानसा(पंजाब) से विधिवत् रूप से खरीदा गया था व उसका नकद

भुगतान उसी समय पर रसीद प्राप्त की थी। वहां से डिजल लाने के दौरान पुलिस द्वारा साहवा में डिजल को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा पुलिस द्वारा काल्पनिक रूप से मनगढ़त रिपोर्ट तैयार की गई है कि मौके पर से 1200 लीटर डीजल जब्त किया गया था, जबकि अप्रार्थी की पिकअप में 1000 लीटर ही डीजल मौजूद था। जो अन्य तीन व्यक्ति है वे भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने-अपने वाहनों के लिए पृथक-पृथक डीजल खरीदा है, जिनके बिलों की प्रति पत्रावली पर मौजूद है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति 1000 लीटर डीजल रखे जाने की क्षमता से काफी कम है। गई। इस डीजल के लिए कुल 3 बिल दो 400-400 लीटर व एक 200 लीटर के प्रस्तुत किए थे, लेकिन मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारी ने उन्हें फर्द जब्ति में शामिल नहीं किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय 2017(4)Cr.L.R. (Raj.)1860 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी पेट्रोल पम्प किसी एक व्यक्ति को 2500 लीटर तक डीजल विक्रय कर सकता है। साथ ही यह भी निर्धारित किया है कि डीजल के परिवहन को भण्डारण नहीं माना जा सकता। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही कानून के प्रावधान के विरूद्ध है। अन्त में अन्त में अप्रार्थी से जब्त डीजल कुल 1000 लीटर एवं पिकअप को वापस लौटाये जाने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में 2017(4)Cr.L.R. (Raj.)1860 दृष्टान्त प्रस्तुत किया। इस प्रकार उक्त डीजल नियमानुसार क्रय किया गया है।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ जिला चूरू में अपना अपराध स्वीकार किया जा चुका है। माननीय न्यायालय के निर्णय में भी अप्रार्थी द्वारा अपराध किया जाना स्वीकार किया गया है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का मुख्य तर्क यह है कि वह 1000 लीटर डीजल 3 बिलों के द्वारा एक ही पिकअप में ले जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जो डीजल का परिवहन किया जा रहा है था जो अवैध नही है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 2017(4)Cr.L.R. (Raj.)1860 दृष्टान्त प्रस्तुत किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार एक बार में एक व्यक्ति को 2500 लीटर डीजल विक्रय की अनुमति है। वाहन में माल ले जाना भण्डारण नही माना जायेगा। वर्तमान प्रकरण में जब्ति के समय वाहन में 1200 लीटर डीजल था तथा वाहन में केवल एक ही व्यक्ति अप्रार्थी मौजूद था, जिसके पास ना ही तो बील थे व ना ही

परमीट। जिनके बिल पत्रावली में प्रस्तुत किये गये उनमें से कोई भी व्यक्ति वाहन में उपलब्ध नहीं था। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी बिना बिलों के 1200 लीटर डीजल वाहन में अवैध परिवहन कर रहा था। अप्रार्थी का यह कृत्य इससे और भी संदेहास्पद हो जाता है कि वह अपने निवास स्थान से 125 किलोमीटर दूर के पेट्रोल पम्प से डीजल लेकर आ रहा था जबकि इस दूरी के अन्तर्गत अनेक पेट्रोल पम्प कार्यरत है। अप्रार्थी की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत उक्त दृष्टान्त में वर्णित तथ्य एवं वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता होने के कारण कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में जब्त किये गये डीजल को राजसात (Confiscate) किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि अप्रार्थी स्वयं के वाहन में डीजल का अवैध परिवहन कर रहा था, ऐसी स्थिति में परिवहन के लिए उपयोग में लिया गया वाहन पिकअप आर.जे.10 जी.ए.1772 को भी राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: आदेश है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना तारानगर जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रा अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर जब्त किया गया 1200 लीटर डीजल मय 6 ड्रम को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिए जाते है। अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वह इस न्यायालय के सुपुर्दगी प्रार्थना-पत्र संख्या 87/2008 में निर्णय दिनांक 23.10.2008 द्वारा उनको जमानत पर सुपुर्द किये गए वाहन को तत्काल थानाधिकारी, तारानगर को सुपुर्द करें। जिला रसद अधिकारी, चूरू जब्त डीजल मय ड्रम जिसका पूर्व में अन्तरिम निस्तारण किया जा चुका है व वाहन को नीलाम कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करावें।

निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी, चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना, तारानगर को पालानार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली मूल में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर, चूरू